न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– .....163...../2024

1. देबु सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तारानगर जिला चूरू।
2. जसवंत सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तारानगर जिला चूरू।

– वादीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 12/07/24

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा किरसाली कान्धलान के खसरा सं. 116 तादादी 9.9137 हेक्ट., खसरा सं. 117 तादादी 1.1001 हेक्ट., खसरा संख्या 423/374 तादादी 0.7840 हैक्ट. कुल तादादी 11.7978 हैक्ट. हैं। जिसमें वादीगण के नाम क्रमशः देवेन्द्रसिंह, बिलुसिंह पुत्रगण भंवरसिंह अंकित है। जो गलत है, जबकि वादीगण के नाम क्रमशः देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह नाम सही हैं। वादीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादीगण के नाम क्रमशः देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह नाम सही है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीगण जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने के लिए वादीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा किरसाली कान्धलान के खसरा सं. 116 तादादी 9.9137 हेक्ट., खसरा सं. 117 तादादी 1.1001 हेक्ट., खसरा संख्या 423/374 तादादी 0.7840 हैक्ट. कुल तादादी 11.7978 हैक्ट. में वादीगण के नाम क्रमशः देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम क्रमशः देवेन्द्रसिंह, बिलुसिंह पुत्रगण भंवरसिंह ही दर्ज है। अतः वादीगण के नाम क्रमशः देवेन्द्रसिंह, बिलुसिंह पुत्रगण भंवरसिंह की जगह देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह नाम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों से वादीगण के दस्तावेजीय नाम क्रमशः देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि किरसाली कान्धलान के खसरा सं. 116 तादादी 9.9137 हेक्ट., खसरा सं. 117 तादादी 1.1001 हेक्ट., खसरा संख्या 423/374 तादादी 0.7840 हैक्ट. कुल तादादी 11.7978 हैक्ट. जमाबन्दी में वादीगण के नाम क्रमशः देवेन्द्रसिंह, बिलुसिंह पुत्रगण भंवरसिंह के स्थान पर देबु सिंह, जसवंत सिंह पुत्रगण भंवरसिंह अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ...12/07/24.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)